कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment, Government of India
भविष्य निधि भवन / Bhavishya Nidhi Bhawan
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066
Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110066
www.epfindia.gov.in

पत्र सं. हि.अ./रा.भा. सम्मेलन-16/2017-18/ 2055 **दिनांक:** 07 JUN 2018

सेवा में

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अंचल
निदेशक, पीडीनास
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशा), मुख्यालय

विषय: **16वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन - राजभाषा की परफार्मेंस के आधार पर कार्यालयों को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में [मद संख्या-15(i)] ।**

संदर्भ: **हि.अ./रा.भा. सम्मेलन-16/2017-18/5857 दिनांक 28.03.2018**

महोदय/महोदया,

दिनांक 09.02.2018 को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित 16वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा की परफार्मेंस के आधार पर फील्ड कार्यालयों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सभी आंचलिक कार्यालय परिशिष्ट-'क' पर संलग्न प्रपत्र के आधार पर अपने अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा की परफार्मेंस की समीक्षा कर तीन सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों को पुरस्कार हेतु चयन करेंगे और नामित कार्यालयों के नाम अपनी संस्तुति एवं अपेक्षित दस्तावेजों सहित मुख्यालय को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अवश्य भेजेंगे । इसके पश्चात प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों को पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त यदि किसी अंचल में कोई भी कार्यालय उक्त पुरस्कार हेतु पात्र नहीं है, तो इस आशय की शून्य रिपोर्ट उपर्युक्त तिथि तक मुख्यालय को अवश्य भेजी जाए ।

तत्पश्चात समस्त आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त प्रविष्टियों की मुख्यालय द्वारा समीक्षा/निरीक्षण कर विजेता कार्यालयों की घोषणा की जाएगी । उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत क्षेत्रवार अर्थात

'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र हेतु चार पुरस्कार यथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं एक सांत्वना पुरस्कार दिये जाएंगे । यह मूल्यांकन कुल 100 अंकों में से किया जाएगा और अंकों का विभाजन निम्नानुसार किया जाएगा :

क्रम सं	विषय	अंक
1.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजना	08
2.	राजभाषा कार्यावयन समिति की बैठक	16
3.	कार्यशाला	
	(क) कार्यशाला की संख्या	04
	(ख) प्रतिभागियों की संख्या	04
4.	धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी में जारी कागजातों की संख्या	10
5.	राजभाषा नियम-5	08
6.	हिंदी पुस्तकों की खरीद	08
7.	(क) नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में जारी व्यक्तिश: आदेश	05
	(ख) नियम 8(4) के अंतर्गत अनुभागों को विनिर्दिष्ट करना	05
8.	हिंदी पत्राचार	10
9.	हिंदी टिप्पणी	06
10.	विज्ञापन पर व्यय	06
11.	हिंदी टिप्पण/आलेखन नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना	10

इस संबंध में शेष अनुदेश निम्नानुसार हैं:

i. तिमाही प्रगति रिपोर्ट अनुवर्ती माह की 30 तारीख तक राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भिजवानी अनिवार्य है। 30 दिन के पश्चात भेजी जाने वाली रिपोर्ट के लिए 1 अंक काटा जाएगा ।

ii. राजभाषा कार्यावयन समिति की बैठक अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से आयोजित कर ली जानी चाहिएं। इसके बाद आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए 1 अंक काटा जाएगा ।

iii. राजभाषा कार्यांवयन समिति की बैठक के कार्यवृत अनुवर्ती माह की 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिए जाने चाहिएं । इसके बाद जारी किए जाने वाले कार्यवृत के लिए 1 अंक काटा जाएगा ।

iv. हिंदी कार्यशाला प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी अनिवार्य है और प्रत्येक कार्यशाला में न्यूनतम 10 प्रतिभागी अवश्य होने चाहिएं । ऐसा ना होने पर 1 अंक काटा जाएगा ।

v. धारा 3(3) के तहत विनिर्दिष्ट समस्त कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाने अपेक्षित हैं । उपर्युक्त कागजात केवल एक ही भाषा में जारी किए जाने पर 1 अंक काटा जाएगा । इसके अतिरिक्त गार्ड फाइल का नियमित रूप से रखरखाव भी किया जाना अपेक्षित है। गार्ड फाइल का नियमित रखरखाव ना किए जाने पर 1 अंक काटा जाएगा ।

vi. राजभाषा नियम-5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने अनिवार्य हैं । इसका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1 अंक काटा जाएगा ।

vii. राजभाषा विभाग के निदेशानुसार पुस्तकों की कुल खरीद पर खर्च की जाने वाली राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाना अपेक्षित है । ऐसा ना करने पर 1 अंक काटा जाएगा ।

viii. नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष व्यक्तिशः आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है । ऐसा नहीं किए जाने पर 1 अंक काटा जाएगा ।

इसी नियम के तहत हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य किए जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है । ऐसा न किए जाने पर 1 अंक काटा जाएगा ।

ix. हिंदी पत्राचार में निर्धारित लक्ष्य से 5% पीछे रहने पर 1 अंक, 10% पीछे रहने पर 2 अंक, 15% पीछे रहने पर 3 अंक और 20% पीछे रहने पर 4 अंक काटे जाएंगे।

x. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी में टिप्पणी कार्य भी किया जाना अपेक्षित है । निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप टिप्पण कार्य ना किए जाने पर 1 अंक काटा जाएगा ।

xi. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वार्षिक मूल टिप्पण / आलेखन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी समान रूप से लागू है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना अपेक्षित है। यह योजना पूर्णत: लागू न किए जाने की स्थिति में 1 अंक कटा जाएगा ।

xii. विज्ञापन-प्रचार पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाएंगे, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा । इसका उल्लंघन करने पर 1 अंक कटा जाएगा ।

[केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय के अनुमोदन से जारी]

संलग्न : उपर्युक्त

भवदीय,

(के. एल. गोयल)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)
एवं प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

1. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय
2. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

01 अप्रैल 20.... से 31 मार्च 20....... तक की रिपोर्ट

क्र. सं	कार्यालय का नाम	तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजना	रा.स.का.भा. बैठक		हिंदी कार्यशालाएं		धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात			
			बैठक की तिथि	कार्यावृत्त जारी करने की तिथि	कार्यशाला की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या	कुल संख्या	द्विभाषी रूप में	केवल अंग्रेजी में	गार्ड फाइल का रखरखाव

हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम -5)				हिंदी पुस्तकों की खरीद		राजभाषा नियम 8(4)		हिंदी पत्राचार का प्रतिशत			फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां			विज्ञापन पर व्यय का प्रतिशत			वार्षिक मूल टिप्पण / आलेखन प्रोत्साहन योजना	
हिंदी में प्राप्त कुल पत्र	उत्तर हिंदी में	उत्तर अंग्रेजी में	उत्तर अपेक्षित नहीं	कुल व्यय राशि	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की गई राशि	व्यक्तिश: आदेश जारी करने की तिथि	शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभाग	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र	हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल	हिंदी में	क्षेत्रीय भाषा में	अंग्रेजी में	पुरस्कृत अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	कुल व्यय राशि